न्यायालय उप खण्ड अधिकारी, अटरू जिला बारां(राज.)

पीठासीन अधिकारीः— कृष्ण गोपाल जोजन

प्रकरण सं0 55 / 2019 **दायर दिनांकः 15 / 04 / 2019**

उनवान

1. दीपक आयु 42 वर्ष पुत्र ऐरिक्शन सेमसन जाति ईसाई निवासी हाल 214 विनोबा विहार मॉडल टाऊन मालवीयनगर, जयपुर राज0।
2. संदीप सेमसन आयु 39 वर्ष ऐरिक्शन सेमसन जाति ईसाई निवासी हाल 214 विनोबा विहारमॉडल टाऊन मालवीयनगर, जयपुर राज0।

वादीगण

बनाम

1. ऐरिक्शन सेमसंन पुत्र सेमुएल जाति ईसाई निवासी पिपलोद तहसील अटरू।
2. निलिमा पुत्री एलबिन जाति ईसाई हाल निवासी मिशन कम्पाऊण्ड, बांसवाड़ा राज0।
3. अंजना पुत्री ऐलबिन पत्नी केनेडी सोलोमन जाति ईसाई हाल निवासी मकान नं0 50 आनन्द नगर, अजमेर राज0।
4. संगीता पुत्री ऐलबिन पत्नी अजय जाति ईसाई हाल निवासी मकान नं0 50 आनन्द नगर अजमेर राज0।
5. वर्धा उर्फ वर्षा पत्नी ऐलबिन जाति ईसाई हाल निवासी म0नं0 50 आनन्द नगर अजमेर राज0।
6. पंकज सेमसंन पुत्र प्रेम कुमार जाति ईसाई निवासी पिपलोद तहसील अटरू।
7. राज बहादुर पुत्र भवानी शंकर जाति धाकड़ निवासी बहादुरगंज तहसील अटरू।
8. सुगना बाई पत्नी भवानी शंकर जाति धाकड़ निवासी बहादुरगंज तहसील अटरू।
9. भवानी शंकर पुत्र चन्दालाल जाति धाकड़ निवासी बहादुरगंज तहसील अटरू जिला बारां राज0।
10. शाखा प्रबन्धक महोदय, सी.बी.आई. शाखा अटरू जिला बारां।
11. शाखा प्रबन्धक महोदय, आई.डी.बी.आई. बैंक शाखा अटरू जिला बारां।
12. राजस्थान सरकार जर्ये तहसीलदार, साहब तहसील अटरू जिला बारां राज0।

प्रतिवादीगण

वाद अन्तर्गत धारा 88, 91, आर.टी.एक्ट

उपस्थिति :—

वादीगणः— विद्वान अभिभाषक श्री भगवान स्वरूप मंगल।

प्रतिवादीः— विद्वान अभिभाषक श्री नन्द सिंह राठौड।

आदेश दिनाक :27 / 05 / 2019

पत्रावली पेश हुई, वकील उभय पक्ष उपस्थित। संक्षिप्त में प्रकरण इस प्रकार से है कि वादीगण ने यह दावा अन्तर्गत धारा 88, 91, आर.टी.एक्ट का इस आशय का पेश किया है कि वाके ग्राम एवं माल पिपलोद तहसील अटरू में मुताबिक जमाबन्दी सम्वत् 2073 से 2076 के अनुसार खाता सं0 300 की ख0नं0 82 रकबा 3.65 है0 कुल 1 किता रकबा 3.65 है0 भूमि तथा खाता संख्या 299 की ख0नं0 103 रकबा 2.50 है0, ख0नं0 550 रकबा 0.63 है0 कुल 2 किता की 3.13 है0 भूमि स्थित चली आ रही है। दोनो खातो की नकल जमाबन्दी वाद पत्र के साथ संलग्न है। जो काबिल गौर है। वाद पत्र की मद नं0 1 में वर्णित भूमि में वादीगण के पिता प्रति. क. 1 का हिस्सा 1/3 दर्ज खाता चला आ रहा था। यह भूमि पैतृक भूमि है जिसमें वादीगण को भारतीय उत्तराधिकार अधिनियम के अन्तर्गत जन्म से अधिकार प्राप्त है। वाद पत्र की मद नं0 1 में वर्णित भूमि में प्रति0 कम 1 ऐरिक्शन का खाते में नाम दर्ज होने से प्रति0 कम 1 बिना कारण के बिना पारीवारिक आवश्यकताओं के भूमि का बेचान करता चला आ रहा है। प्रति0 कम 1 ने खाता सं0 300 में से अपना हिस्सा 1/3 में से हिस्सा 1/4 हिस्सा प्रति0 कम 7, 8 व 9 को बेचान करके कब्जा सम्भला दिया है। प्रति0 कम 1 का खाता सं0 300 में भूमि का बेचान करने के पश्चात हिस्सा 1/3 के स्थान पर सिर्फ हिस्सा 1/12 मात्र ही शेष रहा है तथा खाता संख्या 299 में हिस्सा 1/3 ही मात्र शेष रहा है। प्रति. कम 1 वाद पत्र की मद नं0 1 में वर्णित भूमि में खाते में अपना नाम दर्ज होने के कारण बिना वैध आवश्यकताओं के तथा बिना पारिवारिक आवश्यकताओं के वादीगण को प्राप्त पैतृक सम्पत्ति में वैधानिक अधिकारों से वंचित करने के उद्देश्य से भूमि का बेचान कर रहा है। प्रति0 कम 1 ने दिनांक 10.04.2019 को वाद पत्र की मद नं0 1 में वर्णित भूमि में शेष हिस्सा बेचने को भी धमकी दी। यदि प्रति0 कम 1 अपने अवैधानिक एवं गैर कानूनी कृत्य में सफल हो गया तो वादीगण को अनेकानेक वाद विवादों में उलझना पडेगा तथा सम्पत्ति प्राप्त अधिकारों से वंचित होना पडेगा। बिना सहायता न्यायालय प्रतिवादी कम 1 के अवैधानिक कृत्य को रोका जाना सम्भव नही है। अस्तु वादीगण इस आशय की घोषणा करा पाने के अधिकारी है कि वाद पत्र की मद नं0 1 में वर्णित भूमि में 300 में हिस्सा 1/12 का तथा खाता संख्या 299 में हिस्सा 1/3 का खातेदार कृषक घोषित किया जाकर राजस्व रिकार्ड में इस आशय का अमल करवाया जावें तथा प्रति. क. 1 का नाम खाते से पृथक किया जावें। प्रति. कम 1 को इस आशय की स्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द फरमाया जावें कि वह वाद पत्र की मद ंन0 1 में वर्णित भूमि का कहीं रहन व बेचान नहीं करें। प्रति0 क. 2 तो 9 संयुक्त खातेदार होने से तथा आवश्यक पक्षकार होने से उन्हे प्रति0 कम 2 ता 9 पक्षकार बनाया गया है। राजस्थान सरकार भूमिधारी होने से तथा वाद में आवश्यक पक्षकार

होने से उन्हे पक्षकार बनाया गया है। प्रतिवादीगण ने सेन्ट्रल बैंक आफ इण्डिया शाखा अटरू एवं आई.डी.बी.आई. शाखा अटरू से ऋण ले रखा है, इसलिये उन्हे इस वाद में आवश्यक पक्षकार बनाया गया है। राजस्थान सरकार को धारा 80 सी.पी.सी. का नोटिस प्रेषित किया जाना आवश्यक है, यदि राजस्थान सरकार को 2 माह का नोटिस देकर उसकी अवधि समाप्ति का इंतजार किया गया तो प्रति0 क्रम 1 अपने अवैधानिक कृत्य में सफल हो जावेगा और वह भूमि को रहन बेचान कर देगा जिससे वादीगण को अनेकानेक वाद विवादों में उलझना पड़ेगा तथा वादीगण को सम्पत्ति में प्राप्त अधिकारों से वंचित होना पड़ेगा। इसलिये वाद आवश्यक प्रकृति का होने से धारा 80 2 सी. पी.सी. का पृथक से प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर माननीय न्यायालय की इजाजत से वाद प्रस्तुत है। वाद कारण दिनांक 10.04.2019 को प्रति0 क्रम 1 द्वारा भूमि को रहन बेचान करने की धमकी देने पर बमुकाम उत्पन्न हुआ। विवादग्रस्त आराजी ग्राम व माल पिपलोद में स्थित होने से माननीय न्यायालय को इस वाद को सुनने का क्षैत्राधिकार व श्रवणाधिकार प्राप्त है। वाद राजस्थान टीनेन्सी एक्ट के तृतीय परिशिष्ठ के मुताबिक उचित न्याय शुल्क पर पेश है। वाद अवधि मध्य पेश है।

अतः वाद पत्र प्रस्तुत कर निवेदन है कि वादीगण के पक्ष में विरूद्ध प्रतिवादीगण निम्न आशय की डिक्री पारित फरमाई जावेंः—

(अ) वाद पत्र की मद नं0 1 में वर्णित भूमि में खाता सं0 300 में हि0 1/12 का तथा खाता संख्या 299 में हिस्सा 1/3 का वादीगण को खातेदार कृषक घोषित किया जाकर प्रति0 क्रम 1 के स्थान पर राजस्व रिकार्ड अमल करवाया जावें।

(ब) अन्य न्यायोचित सहायता जो माननीय न्यायालय उचित समझे वादीगण को प्रदान की जावे।

रिपोर्ट ली जाकर प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया गया तथा प्रतिवादीगण की तलबी की गई, प्रतिवादी क्रम 1 की ओर से श्री नन्द सिंह राठौड़ एड0 द्वारा वकालत नामा पेश किया गया वादीगण एवं प्रतिवादी क्रम 1 द्वारा उपस्थित होकर आपसी सहमति से राजीनामा पेश कर कथन किया गया कि ग्राम एवं माल पिपलोद तहसील अटरू में खाता संख्या 300 की खसरा नं0 82 रकबा 3.65 है0 तथा खाता संख्या 299 की खसरा नं0 103 रकबा 2.50 है0 खसरा नं0 550 रकबा 0.63 है0 भूमि स्थित चली आ रही है। जिसमें प्रतिवादी क्रम 1 का हिस्सा 1/3 दर्ज चला आ रहा था यह भूमि पैतृक भूमि है जिसमें से प्रतिवादी क्रम 1 का हिस्सा बेचान कर दिया है अब जो शेष हिस्सा बचा है वह वादीगण का होने से प्रतिवादी क्रम 1 के स्थान पर वादीगण का नाम खाते में

दर्ज करने में कोई आपत्ति नहीं है खाता से 300 में वादीगण का हिस्सा 1/12 तथा खाता सं0 299 में वादीगण का हिस्सा 1/3 मुताबिक राजीनामा प्रतिवादी क्रम 1 के स्थान पर खातेदार कृषक घोषित होकर राजस्व रिकार्ड में अंकन करवाने के अधिकारी है।

अतः राजीनामा प्रस्तुत कर निवेदन है कि ग्राम एवं माल पिपलोद की खाता संख्या 300 खसरान 82 रकबा 3.65 का हिस्सा 1/12 तथा खाता संख्या 299 खसरा नं0103 रकबा 2.50 है0 का हिस्सा 1/3 वादीगण के खाते दर्ज कर प्रतिवादी क्रम 1 का नाम खाते से पृथक किये जाने की डिक्री पारित की जाकर राजस्व रिकार्ड में अंकन करवाया जावें।

उभय पक्षकारान को सुना तथा राजीनामा पढकर सुनाया गया, सही होना स्वीकार किया गया, वादीगण की पहचान श्री भगवान स्वरूप मंगल एड0 द्वारा तथा प्रतिवादी क्रम 1 की पहचान श्री नन्द सिंह राठौड एडवोकेट द्वारा की गई, राजीनामा बाद तस्दीक शा0फा0 किया गया।

पत्रावली का अवलोकन किया गया, विवादित आराजी ग्राम पिपलोद की खाता संख्या 300 ख0नं0 82 रकबा 3.65 है0 कुल 1 किता रकबा 3.65 है0 में प्रतिवादी क्रम 1 का शेष हिस्सा 1/12 तथा खाता संख्या 299 की ख0नं0 103 रकबा 2.50 है0, ख0नं0 550 रकबा 0.63 है0 कुल 2 किता की 3.13 है0 शामलाती खाते में प्रतिवादी क्रम 1 का 1/3 हिस्सा खाते दर्ज है। उक्त आराजी पैत्रिक सम्पत्ति है। जिसमें वादीगण का जन्म से अधिकार बनता है। अतः न्यायहित में आपसी सहमति से वादीगण का वाद स्वीकार योग्य है।

—:क्रियात्मक आदेशः—

उपरोक्त विवेचन के आधार पर वादीगण का वाद स्वीकार किया जाता है। विवादित आराजी ग्राम पिपलोद की खाता संख्या 300 ख0नं0 82 रकबा 3.65 है0 में प्रतिवादी क्रम 1 का हिस्सा 1/12 व खाता संख्या 299 की ख0नं0 103 रकबा 2.50 है0, ख0नं0 550 रकबा 0.63 है0 कुल 2 किता की 3.13 है0 में प्रतिवादी क्रम 1 का हिस्सा 1/3 में आपसी सहमति से वादीगण 1 व 2 को खातेदार कृषक घोषित किया जाता है, तहसीलदार अटरू उक्तानुसार राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद करें, डिक्री पर्चा जारी हो।

निर्णय आज दिनांक 27.05.2019 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(कृष्ण गोपाल जोजन)
उपखण्ड अधिकारी
अटरू जिला बारां

डिक्री मुकदमा इब्तदाई
(ओ0 20 रूल 7 जाप्ता दीवानी)
आज अदालत उप खण्ड अधिकारी अटरू जिला बारां (राज0)
बइजलास. श्री कृष्ण गोपाल जोजन (R.A.S.) उप खण्ड अधिकारी अटरू जिला बारां (राज0.)

प्रकरण सं0 55/2019

उनवान

1. दीपक आयु 42 वर्ष पुत्र ऐरिक्शन सेमसन जाति ईसाई निवासी हाल 214 विनोबा विहार मॉडल टाऊन मालवीयनगर, जयपुर राज0।
2. संदीप सेमसन आयु 39 वर्ष ऐरिक्शन सेमसन जाति ईसाई निवासी हाल 214 विनोबा विहारमॉडल टाऊन मालवीयनगर, जयपुर राज0।

वादीगण

बनाम

1. ऐरिक्शन सेमसंन पुत्र सेमुएल जाति ईसाई निवासी पिपलोद तहसील अटरू।
2. निलिमा पुत्री एलबिन जाति ईसाई हाल निवासी मिशन कम्पाऊण्ड, बांसवाड़ा राज0।
3. अंजना पुत्री ऐलबिन पत्नी केनेडी सोलोमन जाति ईसाई हाल निवासी मकान नं0 50 आनन्द नगर, अजमेर राज0।
4. संगीता पुत्री ऐलबिन पत्नी अजय जाति ईसाई हाल निवासी मकान नं0 50 आनन्द नगर अजमेर राज0।
5. वर्धा उर्फ वर्षा पत्नी ऐलबिन जाति ईसाई हाल निवासी म0नं0 50 आनन्द नगर अजमेर राज0।
6. पंकज सेमसंन पुत्र प्रेम कुमार जाति ईसाई निवासी पिपलोद तहसील अटरू।
7. राज बहादुर पुत्र भवानी शंकर जाति धाकड़ निवासी बहादुरगंज तहसील अटरू।
8. सुगना बाई पत्नी भवानी शंकर जाति धाकड़ निवासी बहादुरगंज तहसील अटरू।
9. भवानी शंकर पुत्र चन्दालाल जाति धाकड़ निवासी बहादुरगंज तहसील अटरू जिला बारां राज0।
10. शाखा प्रबन्धक महोदय, सी.बी.आई. शाखा अटरू जिला बारां।
11. शाखा प्रबन्धक महोदय, आई.डी.बी.आई. बैंक शाखा अटरू जिला बारां।
12. राजस्थान सरकार जर्ये तहसीलदार, साहब तहसील अटरू जिला बारां राज0।

प्रतिवादीगण

वाद अन्तर्गत धारा 88, 91, आर.टी.एक्ट

यह मुकदमा आज वास्ते इनफिसाल कनई .....X..... रूबरू.....X.....

बहाजिर :–

वादीगणः–विद्वान अभिभाषक श्री भगवान स्वरूप मंगल।
प्रतिवादीः– विद्वान अभिभाषक श्री नन्द सिंह राठौड।

मिनजानित मुदई रूबरू .....X.....मिनजाबिन मुदालयह हुक्म दिया जाता है व डिक्री दी जाती है। विवादित आराजी ग्राम पिपलोद की खाता संख्या 300 ख0नं0 82 रकबा 3.65 है0 में प्रतिवादी कम 1 का हिस्सा 1/12 व खाता संख्या 299 की ख0नं0 103 रकबा 2.50 है0, ख0नं0 550 रकबा 0.63 है0 कुल 2 किता की 3.13 है0 में प्रतिवादी कम 1 का हिस्सा 1/3 में आपसी सहमति से वादीगण 1 व 2 को खातेदार कृषक घोषित किया जाता है, तहसीलदार अटरू उक्तानुसार राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद करें।

(कृष्ण गोपाल जोजन)
उप खण्ड अधिकारी
अटरू जिला बारां (राज0)

निज .....X..... मुबालिक .....X..... बाबत् खर्चा इस मुकदमें के सूद बशारह .....X..... फीसदी सालाना आज की तारीख से तारीख अदायगी तक .....X..... अदा करूंगा।

मैरे हस्ताक्षर व मुहर अदालत से आज दिनांक 27.05.2019 को जारी किया गया।

उप खण्ड अधिकारी
अटरू जिला बारां (राज0)

मुदई		मुदालयह	
स्टाम्प अर्जी दावा	खर्चा गवाहान	स्टाम्प अर्जी दावा	फीस कमिश्नर
स्टाम्प वकालत नाम	फीस कमिश्नर	स्टाम्प अर्जी	बाबत् इजराय हुकमनाम
स्टाम्प वजह सबूत	बाबत् इजराय हुकमनाम	महन्ताना वकील	मुत0
महन्ताना वकील	मुत0	खर्चा गवाहान	
मिजान		मिजान	

उप खण्ड अधिकारी
अटरू जिला बारां (राज0)